रजिस्ट्री सं० डी—(डी एन)—73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

• 9] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 7, 1984 (चैत्र 18, 1906)
No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 7, 1984 (CHAITRA 18, 1906)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 3
[PART III—SECTION 3]

लघु प्रशासनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं
[Notifications relating to Minor Administrations]

संघ शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली
प्रशासन
दादरा एवं नगर हवेली

सिलवासा, दिनांक 23 मार्च 1984

सं० प्रशा०/विधि/298(10)/83—"प्रशासक" दादरा एवं नगर हवेली, मोटर वाहन अधिनियम, 1939 (1939 का सं० 4) के तहद खण्ड (अ) एवं (ब) की धारा 3 अ के अन्तर्गत अपने प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए द्वारा फिर से इसे संघ शासित प्रदेश, दादरा एवं नगर हवेली में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण अधिनियम, 1978 को नाम द्वारा संशोधन करते हैं । अतः इसे पहले ही भारत सरकार के राजपत्र भाग–III, खण्ड–3 में दिनांक (21-1-1984) जैसे धारा 133 की उपधारा (1) के तहद इस नियम को प्रकाशित किया जा चुका है ।

1. यह नियम संघ शासित प्रदेश, दादरा एवं नगर हवेली, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण नियम संशोधित नियम, 1984 कहलाया जाएगा ।

2. संघ शासित प्रदेश, दादरा एवं नगर हवेली, मोटर दुर्घटना दावा अधिनियम/अधिकरण नियम, 1978 इसके आगे इस दिये नियम को विचाराधीन रखते हुए । बाद में नियम 25 के तहद निम्नलिखित नियम नाम द्वारा शामिल करते हैं ।

26. इस नियम के अध्याय-7-ए के तहद अधिकरण करने का तरीका :—

यदि कोई भी बात इस नियम 9 से 23 तक केवल नियम 21 को छोड़कर इस नियम के खण्ड के अध्याय 7-ए के अधिनियम के अन्तर्गत ही इसका तरीका अपनाना होगा :—

1. इस नियम के उपबन्ध के तहद कोई भी अधिकरण करना चाहता है तो वह मुआवजा लेने के लिए फार्म सी० डब्ल्यू० एफ० में आवेदन करें ।

2. दावा करने से पहले उसका शुल्क रुपये 10/– दावेदार को आवेदनपत्र के साथ देना होगा ।

3. मोटर द्वारा अधिकरण के तरीके अनुसार ही उसको दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सं० 2 का 1974) के अन्तर्गत ही उस मुआवजे का अधिनिर्णय पूर्ण रूप से देना होगा ।

4. इस मुआवजे का अधिकरण के तहद जो भी इसके संदर्भ में आवेदन आये उसे निष्कासित नहीं कर सकते हैं । कोई टेकनिकल गल्ती पाई जाए तो आवेदक को नोटिस दिया जाए और उसे अपनी गल्ती दिखाना पड़ेगी ।

5. दावाधारक अधिकरण जो है वो मालिक को नोटिस देकर उसे सूचित करे यदि कोई भी वाहन दुर्घटना के तहद शामिल है तो वह सीधे दिए हुए तारीख के 15 दिन के अन्दर ही जिस दिन से

नोटिस जारी किया गया हो । आवेदक द्वारा जो अपना क्लेम लेने के लिये आवेदन करना हो वह भी 15 दिन से पहले ही करना होगा । तारीख उसकी उपस्थिति पर सही रूप से निश्चित करने के 15 दिन से पहले नहीं रखी जाएगी । जब तक कि उसके मुआवजे का आवेदन दाखिल किए हुए को प्राप्त नहीं कर लेते ।

न्यायाधिकरण यदि सही नोटिस पर उस केस से सम्बन्धित कोई कमी महसूस करता है तो एक तरफा मुकदमा चलाना चाहता है तो वह उन्हें तारीख दे सकता है । और वह अनुमान/प्रकल्पना कर सकता है कि विवाद के विरुद्ध जाने का कोई भी मुआवजा देने का अधिनियम नहीं है ।

6. यदि न्यायाधिकरण दावा की कोई आवश्यक सूचनाए है, पुलिस चिकित्सा विभाग या अन्य प्राधिकारी से प्राप्त कर सकता है । और दावा के मुआवजे पर जिस पार्टियों की नियुक्ति की निश्चित की हुई तारीख पर उपस्थित होने के लिए नोटिस दिया था क्या वह उपस्थित हुए या नहीं ।

7. न्यायाधिकरण दावा का हरजाना देने के लिये आगे नीचे लिखी गई शर्तों के अनुसार ही देय होगी :—

1. पंजीकरण प्रमाण-पत्र मोटर वाहन के दुर्घटना के समय शामिल हो ।
2. बीमा प्रमाण-पत्र एवं वाहन का बीमा जो पोलिसी से सम्बन्धित है तीसरी पार्टी के विरुद्ध कैसे जोखिम करना है ।
3. सूचना की प्रथम रिपोर्ट की प्रति ।
4. पोस्टमार्टम प्रमाण-पत्र अथवा जख्मी होने का प्रमाण-पत्र जो चिकित्सा अधिकारी के द्वारा दिया गया हो ।
5. किस चिकित्सा अधिकारी ने उसका परीक्षण एवं किस प्रकार की पीड़ित पर उसे इलाज किया गया था ।

8. दावे का अधिकरण करने के लिए इस नियम के तहद हरजाना हेतु सही आवेदन-पत्र 45 दिन के अन्दर के समय के भीतर ही प्राप्त होने की तारीख के समय तक समाप्त करना होगा ।

9. जहां पर दावेदार अधिकरण यह म करता है कि सही राशि दावेदार को मिलने के लिए या उसकी भिकारी एवं विशेष वारिस कौन है उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए अधिक समय लगेगा तो न्यायाधिकरण दावेदारक को राशि का हरजाना अधिकरण के साथ जमा करने के लिए बुलाना और तब प्रत्येक एवं विधि रूप से उसके वारिस की जानकारी का फैसला करके कि वारिस को राशि देने के लिए बुलाएगा ।

प्रशासक के आदेशानुसार

एस० एस० कोलवेकर
प्रशासक के सचिव
दादरा एवं नगर हवेली
सिलवासा

फार्म–सी० डब्ल्यू० एफ०

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी/ विधवा का.....,निवासी.....
जो कि मोटर वाहन दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुआ था वह मुआवजे के दावे का आवेदन-पत्र मंजूरी हेतु करता है जिससे कि वह जीवित रह सके । उसका आवश्यक विवरण जहां पर क्षतिग्रस्त हुआ है एवं वाहन आदि का विवरण नीचे लिखा जाए ।

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा का .....निवासी .....
विधिवत् रूप से आवेदन करते उसकी प्रतिनिधि के रूप में/एजेन्ट एवं मुआवजे की मंजूरी हेतु मृतक की राशि श्री/कुमारी/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा को श्री/श्रीमती..... जिसकी मृत्यु मोटर वाहन दुर्घटना में हुई थी या क्षतिग्रस्त हुआ था ।

मोटर वाहन द्वारा एवं बीमारी एवं क्षतिग्रस्त होने के समय का पूरा विवरण नीचे दिया जाए :—

(1) पिता का नाम, व्यक्ति का नाम जो क्षतिग्रस्त या मर गया हो पति का नाम यदि वह शादी शुदा स्त्री हो या विधवा ।
(2) जो आदमी मारा गया था/क्षतिग्रस्त हुआ हो उसका पूरा पता का विवरण लिखो ।
(3) किस आदमी की मृत्यु एवं क्षतिग्रस्त हुआ उसकी आयु का विवरण लिखें ।
(4) मृतक/क्षतिग्रस्त व्यक्ति का पेशा क्या था ।
(5) जिस स्थान पर दुर्घटना हुई है उसका पता अथवा समय एवं दिनांक लिखें ।
(6) जहां पर दुर्घटना हुई है उस पुलिस स्टेशन के क्षेत्र का नाम जहां पर केस रजिस्टर्ड किया गया हो ।
(7) क्या उस व्यक्ति की वाहन में यात्रा करते समय दुर्घटना हुई है जिसने मुआवजा लेने का आग्रह यदि है तो उस स्थान का नाम और किस उद्देश्य से वहां से यात्रा शुरू की थी ।
(8) किस प्रकार से दीर्घकालीन क्षति हुई और उसका वास्तविक हल क्या हुआ और यदि कोई भी क्षति हुई उसे जारी रखा जाए ।
(9) जिस चिकित्सा अधिकारी ने दुर्घटना के समय उसकी देखभाल एवं चिकित्सा क्षतिग्रस्त/मृत्यु के समय की है उसका नाम एवं पता देना होगा ।
(10) किस प्रकार की क्षति हुई और क्या वह पक्का अंगहीन या नहीं है ।
(11) किस प्रकार के वाहन के अन्दर दुर्घटना हुई उसका पंजीकरण संख्या शामिल हो ।
(12) वाहन के मालिक का नाम एवं पता पूरा विवरण दें ।
(13) वाहन को बीमा किया है तो उसका नाम और पता देना होगा ।

(14) बीमा पालिसी में कितनी किस्तें भरी हैं उसका प्रमाण-पत्र का पूरा विवरण देना होगा ।

(15) क्या किसी ने मालिक पर बीमा के बारे में आवेदन किया है यदि दिया है तो उसका परिभाग क्या हुआ है ।

(16) आवेदक का नाम एवं पूरा पता ।

(17) मृतक के साथ क्या रिश्ता था ।

(18) क्या उसे मुआवजे की राशि मुआवजे के फण्ड में दी गई है ।

(19) दावा करने के लिए कोई भी आवश्यक सूचनाएं जो हरजाना लेने में सहायक हों ।

(20) मैं..... पूर्ण रूप एवं सच्ची निष्ठा से कहता हूं कि जो भी मैंने अपने नीचे लिखे विवरण में लिखा है वह सही एवं ठीक है ।

आवेदक के अंगूठे का निशान एं हस्ताक्षर

UNION TERRITORY OF DADRA AND NAGAR HAVELI

ADMINISTRATION OF DADRA & NAGAR HAVELI SILVASSA

Silvassa, the 23rd March 1984

No. ADM/LAW/298(X)/83.—In exercise of the powers conferred by clauses (a) and (b) of Section-111A of the Motor Vehicles Act, 1939 (No. 4 of 1939), the Administrator, Dadra and Nagar Haveli makes the following rules further to amend the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli Motor Accidents Claims Tribunal Rules, 1978, the same having been previously published (Vide Govt. of India Gazette Part-III, Section 3 dated 21st January 1984) as required by Sub-Section (1) of Section 133 of the said Act, namely :—

1. These rules may be called the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli Motor Accidents Claims Tribunal (Amendment) Rules, 1984.

2. In the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli Motor Accidents Claims Tribunal Rules, 1978 (hereinafter referred to as the said rules) after rule 25, the following rule shall be inserted, namely :—

26 : Procdeure for claim under Chapter VII-A of the Act :—

Notwithstanding anything contained in rules 3 to 23, except rule 21, of the said rules, in the case of a claim under Chapter VII-A of the Act, the procedure shall be as under :—

(1) An application for compensation in the case of claim under this rule shall be in Form CWF.

(2) The fees payable by the claimant alongwith an application for claim shall be rupees ten.

(3) The Claims Tribunal shall follow the procedure of summary trial as contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) for the purpose of adjudicating and awarding the claim.

(4) The Claims Tribunal shall not reject any application made under this rule on the ground of any technical fault but shall give notice to the applicant and get the defect rectified.

(5) The Claims Tribunal shall give notice to the owner and the insurer, if any, of the vehicle involved in the accident directing them to appear on a date not later than 15 days from the date of issue of notice. The date so fixed for such appearances shall also be not later than 15 days from the receipt of the claim application filed by the claimant. The Tribunal shall state in such notice that in case they fail to appear on such appointed date the Tribunal will proceed ex-parte on the presumption that they have no contention to make against the award of compensation.

(6) The Claims Tribunal shall obtain whatever information necessary from the Police, medical and other authorities and proceed to award the claim whether the parties who ere given notice appear or not on the appointed date.

(7) The Claims Tribunal shall proceed to award the claim on the basis of :—

(i) Registration certificate of the motor vehicle involved in the accident.

(ii) Insurance certificate or policy relating to the insurance of the vehicle against Third Party Risks.

(iii) Copy of first information report.

(iv) Post mortem certificate or certificate of injury from the Medical Officer.

(v) The nature of the treatment given by the Medical Officer who has examined the victim.

(8) The Claims Tribunal shall dispose off an application of compensation under this rule within a period of forty-five days from the date of receipt of such application.

(9) Where the Claims Tribunal feels that the actual payment to the claimant is likely to take time because of the identification and the fixation of the legal heirs of the deceased the Claims Tribunal may call for the amount of compensation awarded to be deposited with the Tribunal and then proceed with the identification of the legal heirs for deciding the payment of compensation to each of the legal heirs.

By Order of the Administrator,

S. S. KOLVEKAR
Secretary to the Administrator,
Dadra and Nagar Haveli,
Silvassa.

FORM—CWF

(*See* Rule 26 of the DNHT M.A.C.T. Rules, 1978)

I, ...son/daughter/wife/widow of ..... residing at ..... having been injured in motor vehicle accident hereby apply for the grant of compensation for the injury sustained. Necessary particulars in respect of the injury vehicle etc. are given below :—

I, ... son/daughter/wife/widow of ..... residing at ..... hereby apply, as a legal representative/agent for the grant of compensation on account of death of Shri/Kumari/Shrimati ..... son/daughter/wife/widow of Shri/Shrimati ..... who died/was injured, in a motor vehicle accident.

Necessary particulars in respect of the deceased/injured, the vehicle etc. are given below :—

1. Name and father's name of the person injured/dead (Husband's name in the case of married woman and widow)
2. Full address of the person injured/dead.
3. Age of the person injured/dead.

4. Occupation of the person injured/dead.

5. Place, date and time of the accident.

6. Name and address of Police Station in whose jurisdiction the accident took place or was registered.

7. Was the person in respect of whom compensation is claimed travelling by the vehicle involved in the accident? If so, give the name of place of starting of journey and destination.

8. Nature of injuries sustained, and continuing effect, if any, of the injury.

9. Name and address of the Medical Officer/Practitioner, if any, who attended on the injured/dead.

10. Nature of the injury and whether it caused permanent disablement or not.

11. Regisrtation number and the type of the vehicle involved in the accident.

12. Name and address of the owner of the vehicle.

13. Name and address of the insurer of the vehicle.

14. Number and details of certificate of insurance or the Policy of Insurance.

15. Has any claim been lodged with the owner/insurer and if so, with what result.

16. Name and address of the applicant.

17. Relationship with the deceased.

18. Whether he has been paid any compensaiton out of the Solatium Fund.

19. Any other information that may be necessary or helpful in the disposal of the claim.

20. I,.....solemnly declare that the particulars given above are true and correct to the best of my knowledge.

Signature or Thumb impression of the applicant.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1984